संख्या-27/2020/510(1)/38-6-20-03(एसआरएलएम)/2020

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक- 16 दिसम्बर, 2020

विषयः-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु अनदान संख्या- 81 81 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश प्रथम किश्त के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पत्रांक-2245/आजीविका/ लेखा/2020-21, दिनांक 23-10-2020 एवं पत्रांक-2737/आजीविका/2020-21, दिनांक 20-11-2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक-जे-12036/01/2020/आरएल (एलआरएलएम_16सी), दिनांक 10-04-2020 द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत अनुदान संख्या-81 (अनुसूचित जनजाति मद) में केन्द्रांश (60 प्रतिशत) रूपये 10710.06 लाख (रूपये एक अरब सात करोड़ दस लाख छः हजार मात्र) अवमुक्त की गई है।

2- उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश (60 प्रतिशत) रूपये 10710.06 लाख (रूपये एक अरब सात करोड़ दस लाख छः हजार मात्र) शासनादेश संख्या-14/2020/146/38-6-2020-03(एसआरएलएम)/2020, दिनांक 22-04-2020 द्वारा निर्गत कर दी गई है। अवमुक्त केन्द्रांश (60 प्रतिशत) के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश (40 प्रतिशत) धनराशि रूपये 7140.04 लाख (रूपये इकहत्तर करोड़ चालीस लाख चार हजार मात्र) निर्गत किया जाना है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत रूपये 24898.83 लाख बजट की व्यवस्था की गई है तथा प्राविधानित बजट के सापेक्ष रूपये 6658.4767 लाख धनराशि अवशेष है। अतएव अनुदान संख्या 81 के अन्तर्गत कम होने के कारण मैचिंग राज्यांश 40 प्रतिशत धनराशि रूपये 7140.04 लाख के सापेक्ष रूपये 6658.4767 लाख निर्गत किया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

जा रहा है। योजनान्तर्गत 60 प्रतिशत केंद्रांश एवं उसके सापेक्ष 40 प्रतिशत राज्यांश (के.60+रा.40) की व्यवस्था है।

3- वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार द्वारा की गई बजट व्यवस्था में उपलब्ध धनराशि में से भारत सरकार के पत्र दिनांक 10-04-2020 द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की धनराशि रूपये 7140.04 लाख के सापेक्ष अनुदान के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि रूपये 6658.4767 लाख (रूपये छियाछठ करोड़ अठ्ठावन लाख सैतालीस हजार छः सौ सत्तर मात्र) को अवमुक्त कर आयुक्त, ग्राम्य विकास के निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैः-

(1) आंकडों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

(2) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार चरणों में किया जायेगा। आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उत्तर प्रदेश इस बात का ध्यान रखेगें कि कार्यदायी संस्था के पास 02 माह की आवश्यकता से अधिक धनराशि न हो।

(4) धनराशि का आहरण एवं व्यय योजना विषयक गाइड लाइन/दिशा निर्देश तथा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

(5) स्वीकृत की गयी धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय व स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है, जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज के नियमानुसार समायोजन/निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि से यथावश्यकता सामग्री, उपकरण आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

(9) धनराशि के आहरण एवं व्यय के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेश एवं वित्तीय नियमों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(10) आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

(11) योजनाओं हेतु प्राविधानित धनराशि को स्वीकृत कर पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं किया जाएगा।

(12) भारत सरकार के पत्र दिनांक 10-04-2020 में अंकित दिशा-निर्देशों/शर्तों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।

(13) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च 2020 एवं अन्य संगत शासनादेश में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए उसके अनुसार कार्यवाही/ अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-81 के लेखाशीर्षक "2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-796-जनजातिय उपक्षेत्र योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0101-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-(के.60/रा.40-के.+रा.)-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय सं0-यू0ओ0-ई-2-852 /दस-2020, दि0-27.11.2020 में प्राप्त उनकी सहमति तथा समाज कल्याण बजट एवं प्रकोष्ठ के शासनादेश दि0-27.03.2015 में प्राविधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 27/2020/510(2)/38-6-20 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय (स्किल डिवीजन), नई दिल्ली।
4- निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य लेखा परीक्षाधिकारी, सहकारी समितियॉं एवं पंचायतें, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6- मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, गोमती नगर, लखनऊ।
7- अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- ग्राम्य विकास अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।